ANIMAL WELFARE BOARD OF INDIA
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Govt. of India
(Department of Animal Husbandry and Dairying)
42 Mile Stone, Delhi-Agra Highway, NH-2,
Ballabhgarh, Haryana-121004
Email: support@awbi.gov.in : Website: www.awbi.gov.in

File No.: AC-02003/1/2026-AWBI

To,

1. The Chief Secretary of all the State Governments/UTs.
2. All the Compassionate Citizens, Animal Owners and Care Takers.

Subject: Request to ensure care and protection of animals from direct heat during extreme hot weather conditions- regarding.

Ref.: The office - wide letter dated -18.04.2024 (copy enclosed)

Sir/Madam,

Kindly refer to the above cited letter.

1. The Animal Welfare Board of India (AWBI) is a statutory body established under the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960. It is entrusted with the protection and safeguarding of animal welfare, including ensuring that the five freedoms of animals are upheld and that no animal is subjected to unnecessary pain or suffering. The AWBI can to advise the Government, local authorities, and any other person on matters relating to animal protection, including issuing advisories, circulars, and guidelines within its statutory mandate.

2. As we are approaching the sweltering summer months, it is imperative to pay special attention to the well-being of animals. Animals, including but not limited to dogs, are particularly vulnerable to heat-related illnesses such as dehydration, heatstroke, and burns from hot surfaces. It is, therefore, the responsibility of all compassionate citizens to ensure their safety and comfort during such extreme hot conditions.

3. It is essential to recognize that under Section 3 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, it is the duty of every person having charge of an animal to take all reasonable measures to ensure its well-being and to prevent the infliction of unnecessary pain or suffering. Failure to do so, constitutes an offence under various provisions of Section 11(1) of the PCA Act,1960. Some essential steps that individuals can take to safeguard animals are as follows:

   i. **Provide Ample Shelter:** Ensure that animals have access to shaded areas throughout the day. Construct shelters using environment-friendly materials or natural shade of trees/structures should be arranged to protect them from direct sunlight.

   ii. **Placing water bowls and pots:** Hydration is key to combating heat stress. Regularly replenish water bowls with clean, fresh water and place water bowls in shaded areas, near wells or handpumps, and use large earthen pots with wide opening or stable containers that cannot be easily overturned by animals.

iii. **Monitor for signs of Heat stress:** Be vigilant for symptoms of heatstroke, including excessive panting, lethargy, drooling, rapid heartbeat, and collapse. Seek immediate veterinary attention if any signs of distress are observed.

iv. **Awareness:** Spread awareness about the importance of protecting animals from extreme heat within your community. Encourage others to implement similar preventive measures and provide assistance if needed.

4. It is pertinent to note that Sub-Rule (3) of the Rule 6 of the Prevention of Cruelty to Draught and Pack Animals Rules, 1965, stipulates that no person shall use any animal for drawing vehicles or carrying loads in areas where the temperature exceeding 37^0 C between 12 noon and 3.00 pm. Further, Rule 12 of the Prevention of Cruelty to Animals (Transport of Animals on Foot) Rules, 2001, prohibits the transportation of animals on foot when the temperature exceeds 30^0 C or outside the hours between sunrise and sunset.

5. In light of the likelihood of extreme heat conditions across India, it is incumbent upon all citizens and animals-care takers to take proactive measures to protect the animals from heat-related illness and distress.

6. The Animal Welfare Board of India (AWBI) urges all individuals and organisations responsible for taking care of animals to take preventive measures shielding them from the adverse effects of extreme heat.

7. The concerned departments are also requested to issue appropriate directions and ensure strict implementation of the statutory Rules under the relevant provisions to prevent unnecessary pain or suffering to the animals during such extreme hot weather conditions.

8. All advisories, guidelines, regulations, and circulars issued by the AWBI are available on the website: www.awbi.gov.in.

9. Your cooperation and coordination are highly solicited in the interest of animal welfare.

10. Hindi Version follows.

Yours sincerely,

(Dr. M. K. Chauhan)
Secretary

Encl.: As above.

Copy to: for information and necessary action.

1. The Director General of Police of all the States/UTs. The Director,
2. Department of Animal Husbandry of all State Governments/UTs.
3. The Member Secretary, State Animal Welfare Board of all the States/UTs.
4. The District Collector of all States /UTs.
5. The Municipal Commissioners of all the States and UTs.
6. The Members and Co-opted Members of the Board
7. The P.S. to Chairman, AWBI for information.

भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

42 माइल स्टोन, दिल्ली-आगरा हाईवे, एनएच-**2**, बल्लभगढ़, हरियाणा-**121004**

ईमेल: support@awbi.gov.in वेबसाइट: www.awbi.gov.in

सं. एसी-02003/1/2026-एडब्ल्यूबीआई

सेवा में,

1. सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव।
2. सभी दयालु नागरिक, पशु मालिक और देखभाल करने वाले।

विषय: **भीषण गर्मी के दौरान पशुओं की देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करने के अनुरोध के संबंध में।**

संदर्भ: इस कार्यालय के पत्रांक दिनांक **- 18.04.2024 (**प्रति संलग्न**)**

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त उद्धृत पत्र देखें।

1. भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड **(**एडब्ल्यूबीआई**)** एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत की गई है। बोर्ड को पशु कल्याण की सुरक्षा और संरक्षण, जिसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि पशुओं की पाँच स्वतंत्रताओं को बरकरार रखा जाए तथा किसी भी पशु को अनावश्यक दर्द या पीड़ा न हो, की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बोर्ड, सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों तथा अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं को पशु संरक्षण से संबंधित मामलों पर अपने वैधानिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत परामर्श, दिशानिर्देश एवं परिपत्र जारी कर सकता है।

2. जैसे-जैसे भीषण गर्मी के महीने निकट आ रहे हैं, पशुओं की सलामती पर विशेष ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। पशु, विशेष रूप से कुत्ते एवं अन्य घरेलू तथा आवारा पशु, गर्मी से संबंधित बीमारियों जैसे निर्जलीकरण, लू लगना तथा गर्म सतहों से जलने के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। अतः यह सभी पशु प्रेमियों एवं पशुपालकों की जिम्मेदारी है कि वे ऐसी प्रचंड गर्मी के दौरान पशुओं की सुरक्षा एवं आराम सुनिश्चित करें।

3. यह उल्लेखनीय है कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 3 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसका किसी पशु की देखभाल या अभिरक्षा से संबंध है, का यह कर्तव्य है कि वह पशु की सलामती को सुनिश्चित करने तथा उसे अनावश्यक पीड़ा या यातना से बचाने हेतु उचित उपाय करे। ऐसा करने में विफलता अधिनियम की धारा 11(1) के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय अपराध हो सकती है।
पशुओं की सुरक्षा हेतु निम्नलिखित आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं:

(i) पर्याप्त आश्रय उपलब्ध कराना – यह सुनिश्चित किया जाए कि पशुओं को पूरे दिन छायादार स्थान उपलब्ध हों। पर्यावरण-अनुकूल सामग्री से आश्रय तैयार किए जाएँ अथवा पेड़ों/अन्य संरचनाओं की प्राकृतिक छाया का उपयोग किया जाए ताकि पशुओं को सीधी धूप से बचाया जा सके।
(ii) पानी के बर्तन उपलब्ध कराना – गर्मी के तनाव से बचाव हेतु जलयोजन अत्यंत आवश्यक है। पानी के बर्तनों को नियमित रूप से साफ एवं ताजे पानी से भरकर छायादार स्थानों, कुओं अथवा हैंडपंपों के पास रखा जाए। मिट्टी के बड़े बर्तनों अथवा चौड़े एवं स्थिर पात्रों का उपयोग किया जाए जिन्हें पशु आसानी से पलट न सकें।
(iii) गर्मी के तनाव के लक्षणों की निगरानी – हीट स्ट्रोक के लक्षणों जैसे अत्यधिक हांफना, सुस्ती, अत्यधिक लार आना, तेज धड़कन तथा गिरने आदि के प्रति सतर्क रहें। ऐसे किसी भी लक्षण के दिखाई देने पर तत्काल पशु चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जाए।

(iv) जागरूकता फैलाना – समुदाय में अत्यधिक गर्मी के दौरान पशुओं की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाई जाए तथा अन्य व्यक्तियों को भी ऐसे निवारक उपाय अपनाने एवं आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए।

4. यह भी उल्लेखनीय है कि पशु क्रूरता निवारण (भारवाहक एवं वाहक पशु) नियम, 1965 के नियम 6(3) के अनुसार, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, किसी भी पशु का उपयोग वाहन खींचने अथवा भार ढोने के लिए नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, पशु क्रूरता निवारण (पैदल चलने वाले पशुओं का परिवहन) नियम, 2001 के नियम 12 के अनुसार, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर पैदल चलने वाले पशुओं का परिवहन प्रतिबंधित है।

5. भारत भर में अत्यधिक गर्मी की संभावित परिस्थितियों को देखते हुए, सभी नागरिकों एवं पशुपालकों से अनुरोध है कि वे गर्मी से संबंधित बीमारियों एवं संकट से पशुओं की सुरक्षा हेतु सक्रिय कदम उठाएँ।

6. भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं से आग्रह करता है कि वे पशुओं की उचित देखभाल सुनिश्चित करें तथा उन्हें अत्यधिक गर्मी के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने हेतु आवश्यक उपाय अपनाएँ।

7. सभी संबंधित विभागों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे भीषण गर्मी की परिस्थितियों में पशुओं को अनावश्यक दर्द या पीड़ा से बचाने तथा संबंधित वैधानिक नियमों के सख्त अनुपालन हेतु आवश्यक निर्देश जारी करें।

8. भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड द्वारा जारी सभी परामर्श, दिशानिर्देश, विनियम एवं परिपत्र वेबसाइट: www.awbi.gov.in पर उपलब्ध हैं।

9. पशु कल्याण हेतु आपके सहयोग एवं समन्वय की अपेक्षा है।

भवदीय,

(डॉ. एम. के. चौहान)
सचिव

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही के लिए प्रस्तुत।

1. सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक।
2. सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के निदेशक, पशुपालन विभाग।
3. सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के सदस्य सचिव, राज्य पशु कल्याण बोर्ड।
4. सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के जिलाध्यक्ष।
5. सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के नगरपालिका आयुक्त।
6. बोर्ड के सभी सदस्य एवं सह-सदस्य।
7. अध्यक्ष, एडब्ल्यूबीआई के निजी सचिव को सूचनार्थ।